


कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला मूल्यांकन समिति खरगोन
(म.प्र.)

:: आदेश :: खरगोन, दिनांक /03/2015

क्रमांक 18 /जि.पं./2015 मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्ग दर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना एवं उनका पुनरीक्षण नियम 2000, के परिप्रेक्ष्य में खरगोन जिले में स्थित अचल संपत्ति के बाजार मूल्य मार्ग दर्शक सिद्धांत केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदन उपरांत जारी किये जाते हैं ।

2. केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा वर्ष 2014-15 के उपबंधों को ही वर्ष 2015-16 के लिए भी यथारूप अनुमोदित किया गया है । अतः इन उपबंधों को वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन में सम्मिलित किया जावे ।

उक्त दरे दिनांक 01/04/2015 एवं तत्पश्चात पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रभावशील होगी ।


(नीरज दुबे)


कलेक्टर एवं

अध्यक्ष जिला मूल्यांकन समिति,
खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक 662 /जि.पं./15

खरगोन, दिनांक 31/03/15

- प्रतिलिपि:-**
- 1- महानिरीक्षक पंजीयन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
 - 2- उपमहानिरीक पंजीयन इंदौर संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
 - 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी खरगोन की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिले के साइट पर गाइड लाइन वर्ष 2015-16की अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे ।
 - 4- समस्त उपपंजीयक जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


कलेक्टर एवं

अध्यक्ष जिला मूल्यांकन समिति,
खरगोन (म.प्र.)